संख्या-97/2021/1898/26-3-2021

प्रेषक,

के0 रविन्द्र नायक,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक 06 अगस्त, 2021

विषयः **उत्तर प्रदेश में विमुक्त जाति के अभ्यर्थियों को जाति प्रमाण पत्र जारी करने एवं अनुमन्य सुविधाएं प्रदान करने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-22सीएम/26-3-2013 दिनांक 10.06.2013 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो शासनादेश संख्या-899(ए)/XXVI-700(5)/1959 दिनांक 12.05.1961, शासनादेश संख्या-148-बी/ XXVI-700(5)/1959 दिनांक 26.03.1962 व शासनादेश संख्या-529/26-3-2000 दिनांक 27.02.2001 के क्रम में निर्गत किया गया है।

2- उक्त के सन्दर्भ में अवगत कराना है कि भारत सरकार द्वारा घोषित प्रदेश के विमुक्त जातियों (डीनोटिफाईड ट्राइब्स) व घुमन्तू जातियों (नोमेडिक कम्यूनिटीज) के कल्याणार्थ चलायी जा रही योजनाओं का लाभ प्रदान किये जाने विषयक शासनादेश संख्या-899(ए)/ XXVI-700(5)/1959 दिनांक 12.05.1961 में प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में निवास करने वाली कतिपय 11 जातियों यथा बंजारा, भर, दलेरे कहार, गंडीला, घोसी (हिन्दू) केवट, मल्लाह, लोध, मेवाती, औधिया व तगाभाट को सूचीबद्ध किया गया है। अनुवर्ती शासनादेश संख्या-148-बी/ XXVI-700(5)/1959 दिनांक 26.03.1962 पूर्व निर्गत शासनादेश संख्या-899(ए)/ XXVI-700(5)/1959 दिनांक 12.05.1961 के क्रम में जारी किया गया है, जिसमें प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में निवास करने वाले कतिपय 18 अन्य जातियों यथा मुसहर, नट, पासी, दुसाध, गूजर, कंजर, खटीक, बरवार, बौरिया, भंतू, हबुरा, सांसिया, करवल, अहरिया, बदक, बेरिया, चमार व डोम को भी विमुक्त जातियों की सूची में परिगणित/समायोजित किया गया।

3- यह उल्लेखनीय है कि क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट इन्क्वायरी कमेटी 1949-50 की रिपोर्ट (संलग्नक-1) में प्रदेश के 30 विमुक्त जातियों- अहेरिया, बदक, बंजारा, बरवार, बौरिया, बेरिया, बोरिया, भंतू, भर, चमार, दलेरे, डोम, गंडीला, गधिआस, घोसी, गूजर, हबुरा, कंजर, केवट, मल्लाह, खटिक, लोध, मेवाती, मुसहर, नट, औधिया, दुसाध, पासी, संसिया व तगाभाट का उल्लेख किया गया है। कालान्तर में शासनादेश संख्या-899(ए)/ XXVI-700(5)/1959 दिनांक 12.05.1961 (संलग्नक-2) तथा शासनादेश संख्या-148-बी/XXVI-700(5)/1959 दिनांक 26.03.1962 (संलग्नक-3) द्वारा कुल 29 विमुक्त जातियों को मान्यता प्रदान की गयी।

4- सचिव, भारत सरकार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, नई दिल्ली के अर्द्ध शा0 पत्र संख्या-11020/2/2020-डीडब्लूबीडीएनसी, दिनांक 18.08.2020 (संलग्नक-4) में उल्लिखित प्रदेश के 29 विमुक्त जातियों की सूची के परिप्रेक्ष्य में निदेशक, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, लखनऊ की संस्तुति के आधार पर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में निवास करने वाली कुल 29 विमुक्त जातियां एवं उनकी वर्गीकृत श्रेणी का विवरण तालिका में निम्नवत् हैः-

क्र.सं.	जातियों का नाम	जनपद/क्षेत्र	वर्गीकृत श्रेणी
1	बंजारा	आगरा, फर्रूखाबाद, हरदोई, फिरोजाबाद, झांसी, लखनऊ, मैनपुरी, मेरठ, मथुरा, पीलीभीत, रायबरेली, सीतापुर, उन्नाव, एटा, इटावा।	अन्य पिछड़ा वर्ग
2	भर	आजमगढ़, वाराणसी, फैजाबाद, जौनपुर, गोरखपुर, मऊ (मऊनाथभंजन, घोसी, मोहम्मदाबाद), महराजगंज (महराजगंज, नौतनवा, निचलौल, फरेन्दा)।	अन्य पिछड़ा वर्ग
3	दलेरे कहार	बरेली, मेरठ, मुरादाबाद, गाजियाबाद, हापुड़, गौतमबुद्धनगर (दादरी)।	अन्य पिछड़ा वर्ग
4	गंडीला	मुजफ्फरनगर।	अन्य
5	घोसी (हिन्दू)	अलीगढ़, एटा, फिरोजाबाद (फिरोजाबाद, शिकोहाबाद, जसराना,) मैनपुरी।	अन्य पिछड़ा वर्ग
6	केवट	बस्ती, सिद्धार्थनगर (नौगढ़, वॉसी,डुमरियागंज)।	अन्य पिछड़ा वर्ग
7	मल्लाह	आगरा, अलीगढ़, बलिया, इटावा, बुलन्दशहर, गोरखपुर,मिर्जापुर तथा मथुरा, गाजियाबाद, हापुड़, गढ़मुक्तेश्वर, दादरी, सोनभद्र (राबर्टसगंज, दुद्धी), महराजगंज (महराजगंज, नौतनवा, निचलौल,फरेन्दा),फिरोजाबाद (फिरोजाबाद, शिकोहाबाद, जसराना)।	अन्य पिछड़ा वर्ग
8	लोध	फतेहपुर, मैनपुरी, फिरोजाबाद(शिकोहाबाद, जसराना)।	अन्य पिछड़ा वर्ग

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

9	मेवाती	बुलन्दशहर, अलीगढ़, गाजियाबाद, हापुड़, गौतमबुद्धनगर (दादरी)।	अन्य पिछड़ा वर्ग
10	औधिया	कानपुर, फतेहपुर, कानपुर (देहात)।	अन्य
11	तगाभाट	सहारनपुर।	अन्य
12	मुसहर	बलिया, गाजीपुर, जौनपुर, सुल्तानपुर, वाराणसी।	अनुसूचित जाति
13	नट	इलाहाबाद, बिजनौर, फतेहपुर, झासी, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर।	अनुसूचित जाति
14	पासी	पूरे प्रदेश में।	अनुसूचित जाति
15	दुसाध	बलिया।	अनुसूचित जाति
16	गूजर	मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, बिजनौर, सहारनपुर।	अन्य पिछड़ा वर्ग
17	कंजर	आगरा,कानपुर, इटावा, फतेहपुर, मैनपुरी, मथुरा, फर्रूखाबाद (फतेहगढ़)।	अनुसूचित जाति
18	खटीक	बस्ती, गोण्डा।	अनुसूचित जाति
19	बरवार	गोण्डा, हरदोई, सुल्तानुपर, रायबरेली।	अनुसूचित जाति
20	बौरिया	कानुपर, फतेहपुर।	अन्य
21	भंतू	पूरे उत्तर प्रदेश में।	अनुसूचित जाति
22	हबुरा	पूरे उत्तर प्रदेश में।	अनुसूचित जाति
23	सांसिया	झांसी, बुलन्दशहर, खीरी, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर।	अनुसूचित जाति
24	करवल	खीरी, वाराणसी, लखनऊ, बाराबंकी, बस्ती, मुरादाबाद, कानपुर।	अनुसूचित जाति
25	अहरिया	फर्रूखाबाद, आगरा, बदांयू, मैनपुरी, पीलीभीत, अलीगढ़, बुलन्दशहर, एटा, मथुरा।	अन्य
26	बदक	बदांयू, खीरी, मथुरा, शाहजहांपुर।	अन्य
27	बेरिया	आगरा, कानपुर, एटा, इटावा, मैनपुरी, फतेहपुर।	अनुसूचित जाति
28	चमार	इटावा, गाजीपुर, जौनपुर।	अनुसूचित जाति
29	डोम	पूरे उत्तर प्रदेश में।	अनुसूचित जाति

5- वर्णित स्थिति में विषयगत प्रकरण पर पूर्व में निर्गत विभिन्न शासनादेशों का समाहार करते हुए जनसामान्य की सुविधा हेतु अधिक स्पष्टता लाये जाने हेतु प्रस्तर-4 में उल्लिखित स्थिति के अनुसार विमुक्त जातियों की वर्गीकृत सूची निर्गत किये जाने का निर्णय शासन द्वारा लिया गया है।

6- उपरोक्त सूची में उल्लिखित जातियों में से 14 जातियां अनुसूचित जाति, 09 जातियां अन्य पिछड़ा वर्ग तथा 06 जातियां अन्य की श्रेणी में वर्गीकृत है। अनुसूचित जाति/अन्य पिछड़े वर्ग की जातियां तद्नुसार श्रेणी में अनुमन्य सुविधाएं प्राप्त कर रही है। इसके अतिरिक्त विमुक्त जाति के लोग विमुक्त जातियों (डी0एन0टी0) हेतु संचालित योजनाओं में अर्हता/पात्रता के आधार पर लाभ प्राप्त कर सकते है।

7- शासनादेश संख्या-22सीएम/26-3-2013 दिनांक 10.06.2013 (संलग्नक-5) में उल्लिखित प्रदेश की कतिपय 25 विमुक्त घुमन्तू जातियों को पूर्व की भांति विमुक्त जाति प्रमाण पत्र व अनुमन्य सुविधाएं यथावत प्राप्त होती रहेंगी।

8- उक्त के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उक्तानुसार प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में निवास करने वाली समस्त 29 विमुक्त जातियों के व्यक्तियों का भली भांति जांच पड़ताल करके नियमानुसार जाति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने एवं तद्नुसार अनुमन्य सुविधाएं प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में अग्रतर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नकःयथोक्त।

भवदीय,

के0 रविन्द्र नायक
प्रमुख सचिव।

पृ0सं0-97/2021/1898 (1)/26-3-2021,तद्दिनांक

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0।
2. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन।
3. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उ0प्र0।
4. निदेशक, समाज कल्याण/अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, लखनऊ।
5. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

के0 रविन्द्र नायक
प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

संलग्नक-1

REPORT

THE CRIMINAL TRIBES ACT ENQUIRY COMMITTEE

(1949-50)

सत्यमेव जयते

PRINTED IN INDIA BY THE MANAGER GOVT. OF INDIA PRESS, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS DELHI 1951

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

APPENDIX III

A LIST OF CRIMINAL TRIBES IN THE STATES.

NOTE 1.—Tribes which are marked by an asterisk are classed as Scheduled Castes.
The castes in the Bombay and Madras States listed below were Criminal Tribes just before the repeal of the Criminal Tribes Act.

Name of the State (1)	Serial No. (2)	Name of the Criminal Tribe (3)	Area in which notified as a Criminal Tribe (4)
West Bengal	*1	Bedhya	Whole West Bengal.
	2	Karwal Nat	Do.
	3	Bhar	All the members of these tribes are not declared as Criminal Tribes. Only those convicted of any non-bailable offence or under the preventive section of the Criminal Procedure Code are declared to be criminal Tribes in the West Bengal State.
	4	Dhekarn	
	*5	Maghaiya Domes	
	6	Gonda	
	*7	Lodha	
Bihar	*1	Marwari [illegible]	Whole Bihar State.
	2	Dharis	Patna, Monghyr and Bhagalpur Districts.
	3	Dhekari	Santal Parganas.
	*4	Magahiya Domes	Saran, Champaran, Muzaffarpur, Darbhanga and Shahabad Districts.
	*5	Chelai [illegible]	Hazaribagh, Monghyr, Santal Parganas, Bhagalpur Districts.
	*6	Magahiya [illegible]	Darbhanga and Bhagalpur Districts.
	7	Ghasis	Singhbhum District.
	8	Lodhas	Singhbhum District.
	9	Karwal Nuts	Whole Bihar State.
	*10	Musaharas	Itahari in Bihar State.
Orissa	*1	Dandasi	Ganjam District.
	*2	Domes	Koraput District.
	*3	Ghasi	Koraput District.
	*4	Jaintra Pans	Cuttack District.
	*5	Munda Pottas	Ganjam District.
	6	Telaga Pamula	Ganjam District.
	*7	Paidis	Koraput District.
Uttar Pradesh	*1	Aheria	Agra, Budaun, Etawah, Mainpuri, Pilibhit, Aligarh, Bulandshahr, Etah and Mathura Districts.
	*2	Badak	Budaun, Kheri, Mathura and Shahjahanpur Districts.
	3	Banjara	Etah, Etawah, Fatehgarh and Mainpuri Districts.
	*4	Barwar	Gonda, Hardoi, Sultanpur and Rai-Bareli Districts.
	*5	Baurias	Muzaffarnagar and Meerut Districts.
	*6	Berias	Agra, Kanpur, Etah, Etawah, Mainpuri and Fatehpur Districts.

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

(1)	(2)	(3)	(4)
	7	Boriya	Fatehpur and Kanpur Districts.
	*8	Bhantus	Whole of U. P.
	9	Bhar	Azamgarh, Banaras, Fyzabad, Jaunpur and Gorakhpur Districts.
	*10	Chamars	Etawah, Ghazipur and Jaunpur Districts.
	11	Dalara	Bareilly, Meerut and Moradabad Districts.
	*12	Doms	Whole U. P.
	13	Gandilas	Muzaffarnagar District.
	14	Gadhias	Moradabad District.
	15	Ghosi	Aligarh, Etah and Mainpuri Districts.
	16	Gujar	Saharanpur and Moradabad Districts.
	*17	Habura	In almost all the Districts of the Uttar Pradesh.
	*18	Kanjar	Agra, Kanpur, Etawah, Fatehgarh, Mainpuri and Muttra Districts.
	*19	Kewat	Basti District.
	20	Mallah	Agra, Aligarh, Bulandshahr, Etawah, Mirzapur, Muthra, Ballia and Gorakhpur Districts.
	*21	Khatik	Basti and Gonda Districts.
	22	Lodha	Mainpuri and Fatehpur Districts.
	23	Mewati	Aligarh and Bulandshahr Districts.
	24	Musahar	Ballia, Gazipur, Jaunpur and Sultanpur Districts.
	*25	Nat	Nainital, Moradabad, Muzaffarnagar, Bijnore and Allahabad Districts.
	26	Odhias	Kanpur and Fatehpur.
	27	Salwar Dusadh	Ballia District.
	*28	Pasi	Whole U. P.
	*29	Sansiah	Meerut, Saharanpur, Kheri, Muzaffarnagar, Dehra Dun, Jhansi and Bulandshahr Districts.
	30	Taga Bhat	Saharanpur District.
	1	Aheria	Whole Punjab.
	*2	Barrars	Whole Punjab.
	*3	Baurias	Whole Punjab.
	4	Beria	Whole Punjab.
	*5	Bhangalis	Whole Punjab.
	6	Bhedkuts	Whole Punjab.
	7	Bhura Bhrahmans	Kangra District.
	8	Dhoas	Whole Punjab.
	9	Dhonwar	In some areas (not known).
	*10	Gandhillas	Whole Punjab.
	11	Jats (Gutka and Dhillon)	In some areas only.
	12	Mahatams	In some areas only.
	13	Tagas	In some areas only.
	14	Kanjar	Whole Punjab.

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

संलग्नक-2

No. 899 (1)/XXVI-700(5)-1959

IFTIKHAR HUSAIN, I.A.S.

UTTAR PRADESH SHASHAN,

THE MINISTER, HARIJAN KALYAN,

UTTAR PRADESH, LUCKNOW.

Dated, Lucknow, May 12, 1961

Subject:— Welfare Schemes for De-notified Tribes and Vagrant Tribes.

SIR,

In continuation of G.O. no. 899/XXVI-700(5)-1959, dated May 12, 1961, I am directed to say that after repeal of the Criminal Tribes Act, 1924 the communities which were notified as Criminal Tribes under the foreign rule are now normal citizens of the country without any restriction on them. As the main reasons for the criminality of these tribes had been their poverty and economic instability. Steps were taken to improve their educational, economic and social conditions and to rehabilitate them permanently. Efforts have been made in the Second Plan period to educate the children by giving them stipends and non-recurring assistance and by establishing Ashram Type Schools. The members of these communities have also been given financial assistance to set themselves on cottage industries and to settle them as agriculturists. In order to improve the living conditions they have been given subsidy for the improvement of their existing houses and construction of the new ones. This programme is to continue with accelerated tempo during the Third Plan Period.

3. There has however been no authenticated list of the De-notified Tribes and the Vagrant Tribes with the result that the field staff had been experiencing a great difficulty in selecting the beneficiaries under this programme. It was further not possible to prepare a perspective plan for the uplift of these communities as the data regarding their population and main occupations was not known. The Government have therefore decided to prepare exhaustive list of De-notified, Vagrant Tribes for purposes of their welfare programme. These lists are appended herewith for information and guidance of all concerned. The communities already enlisted as Scheduled Castes have been excluded from this list.

4. It may be stated here that there had been some misapprehension among these tribes that the State Government were contemplating to re-list them as criminal tribes. This is farthest from the truth. There is no question of their being re-listed as criminal tribes as the Act under which this was used to be done has since been repealed by the popular Government. This list only enumerates the communities which are eligible for special assistance which the Government may extend to them from time to time.

Yours faithfully,
IFTIKHAR HUSAIN,
Up Sachiv

No. 899 (2)/XXVI-700(5)-1959

Copy forwarded for information and necessary action to:

(1) All District Magistrates, Uttar Pradesh with five spare copies.
(2) All Commissioners, Uttar Pradesh.
(3) All Heads of Departments and Regional Heads of Offices.
(4) All District Inspectors of Schools.

No. 899 (3)/(II)/XXVI-700(5)-1959

Copy also forwarded to all Departments of the Secretariat for information.

By order,
IFTIKHAR HUSAIN,
Up Sachiv

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

List of Denotified Tribes leading settles life

Name of Community	District in which residing
Banjara	Agra, Farrukhabad, Hardoi, Jhansi, Lucknow, Manipur, Meerut, Mathura, Pilibit, Raebareli, Sitapur, Unnao, Etah, Etawah.
Bhar	Azamgarh, Varanasi, Faizabad, Jounpur, Gorakhpur.
Delera Khar	Bareilly, Meerut and Mofadabad.
Gandila	Muzaffarnagar.
Bhoi (Hindu)	Aligarh, Etah and Mainpuri.
Kewat	Basti.
Mallah	Agra, Aligarh, Ballia, Bulandshahar, Etawah, Gorakhpur, Mirzapur, Mirzapur and Mathura.
Mewati Lodh	Fatehpur, Manipuri.
Mewati	Bulandshahar, Aligarh.
Oudhia	Kanpur, Fatehpur.
Tega Bhat	Saharanpur.

List of Denotified Tribes who are also Nomads

1.	Khurpaila	Agra, Mathura.
2.	Bongia (Agra)	Agra, Jhansi.
3.	Madari.	Agra, Aligarh, Allahabad, Saharanpur, Sultanpur.
4.	Singiwala	Aligarh, Bareilly, Budaun, Mathura, Nainital, Saharanpur.
5.	Aughar	Allahabad.
6.	Baid	—Do—
7.	Bhat	Allahabad, Varanasi, Etah, Hardoi, Etawah, Fatehpur, Hamirpur, Mirzapur, Mathura.
8.	Chamarmangta	Allahabad, Fatehpur, Hardoi, Sitapur, Sultanpur, Unnao.
9.	Jogi	Allahabad, Shahjahanpur.
10.	Jega	Badaun.
11.	Kingiria	Allahabad.

2/.....

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

-2-

12. Mahavat (Lungipathan)	Allahabad, Bahraich, [illegible], Pilibhit, Raebareli, Unnao.
13. Bhauri	Allahabad.
14. Sepera (Saparia)	Allahabad, Mathura, Saharanpur.
15. Kurmanoi (Hindu-Mahavat)	Kanpur, Hardoi.
16. Boldar	Etawah, Saharanpur.
17. Kanmalia	Etawah.
18. Ghoshain	Farrukhabad, Jhansi.
19. Goduahar	Gonda, Sultanpur.
20. Lona Chamar	Jalaun.
21. Bunty	Mathura.
22. Siligaon	—do—
23. Kankali	Sultanpur.

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

संलग्नक-3

No. 148-b-/XXVI-700(5)/1959

From,

Sri Iftikhar Husain,
Up Sachiv,
Uttar Pradesh Shasan.

To,

The Nideshak,
Harijan Kalyan, U.P.,

HARIJAN SAHAYAK VIBHAG. Dated Lucknow, March 26, 1962.

Subject:- Welfare Schemes for Denotified Tribes and Vagrant Tribes.

Sir,

I am directed to refer to G.O. No. 899(a)XXVI-700(5)/1959, dated May 12, 1961, on the above subject, and to say that in the list of Denotified Tribes circulated therewith nineteen denotified Communities noted in the margin were not included as these communities are already included in the list of Scheduled Castes:- with the result that these communities were

1. Musahar	5. Gujar	9. Bauria	13. Karwal	17. Bhar
2. Nat	6. Kanjar	10. Bhantu	14. Aheria	18. Chamar
3. Pasi	7. Khatik	11. Habura	15. Badak	19. Dom
4. Dusadh	8. Barwar	12. Sansia	16. Beria	

precluded from the benefits available under the various welfare schemes meant for Denotified Tribes. On reconsideration however it has not been decided that these communities will be and are hereby included in the list of Denotified Tribes.

Yours faithfully,

Sd/-

(IFTIKHAR HUSAIN)
UP SACHIV.

No. 148-B-/(i) XXVI-700(5)/1959.

Copy forwarded for information and necessary action to :-

1. All District Magistrates, Uttar Pradesh, with five spare copies.

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

2. All Commissioners of Divisions, Uttar Pradesh,
3. All Heads of Departments and Principal Heads of Offices, Uttar Pradesh.
4. All District Inspectors of Schools, Uttar Pradesh
5. All Departmental [illegible]

By order,

Sd/-

(IFTIKHAR HUSAIN)
UP SACHIV.

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

संलग्नक -4

R. Subrahmanyam, IAS
Secretary

Ministry of Social Justice and Empowerment
Department of Social Justice & Empowerment
Government of India

D.O.No. 11020/2/2020-DWBDNC
18th August, 2020

Dear Colleague,

You may be aware that Ministry of Social Justice and Empowerment has constituted a Development and Welfare Board for Denotified, Nomadic and Semi-Nomadic Communities (DWBDNC). These communities envisage as one of the most vulnerable and neglected communities across the country and normally live in hard-to-reach places. Most of them do not own land and live in tents, jhuggies, kacha or semi pucca houses.

2. In spite of their poverty and low income, they are deprived of access to entitlements and legal rights like possession of official documents that includes BPL card, Ration card, Adhar card, Caste certificate, Voter ID card etc. Possession of these documents is vital for accessing any services and benefits for development programmes of State and/or Central Government.

3. Government of India is committed to providing these basic rights to these deprived communities and also to conduct a survey of such households in your State, through the State Government. The survey is proposed to be a household survey of the DNTs identified in your State (List enclosed), covering demographic profile, socio-economic status. The formats of this survey and the modalities would be finalized in consultation with the State Governments.

4. I will be grateful if you entrust the responsibility of conducting this survey of the DNT communities (List enclosed) in your State/UT to a Department or Organization so that the database can be built up before 31st Dec 2020. The cost for the data collection can be met by the Central Government.

5. I will be grateful for intimating the details of the Department / Organization and the Nodal officer so as to coordinate for expeditious conduct of this survey. Shri Ashish Rawat, IFS, CEO, DWBDNC will co in further contact with you in the matter.

With regards

Yours sincerely,

(R. Subrahmanyam)

To
Chief Secretaries of State/UT Governments

Enclosure : As above

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

UTTAR PRADESH

List of DENOTIFIED, NOMADIC AND SEMI NOMADIC COMMUNITIES

(A) De-notified Communities as Confirmed by the State/ UTs*

S.No.	Name of Community	Synonyms
1	Banjara	
2	Bhar	
3	DoleKahar	
4	Gandila	
5	Ghosi	
6	Kevat	
7	Mallah	
8	Lodh	Lodhi
9	Mewati	
10	Audiya	Oudhia
11	Tagabhatt	
12	Musahar	
13	Gujar	
14	Bauriah	
15	Kanwal	
16	Nat	
17	Kanjar	
18	Bhanta	
19	Aheria	Baheliya
20	Chamar	
21	Pasi	
22	Khatik	
23	Habura	
24	Badak	
25	Dom	
26	Dusadh	Paiwar
27	Barwar	
28	Sansi	
29	Beria	

(B) De-notified Communities as given by the Idate Commission Report *

S.No.	Name of Community	Synonyms
1	Aabiliya	
2	Bans	
3	Bora	

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

4	Dangi	
5	Gaddi	
6	Kamaria	
7	Kipriya	
8	Kumhali	
9	Kurmi	
10	Lodh	
11	Mahato (Mahaseti)	
12	Kalwar(Kanoi)	
13	Kshatriya	
	Total	42

B(A) Nomadic Communities as Confirmed by the State/ UTs*

S.No.	Name of Community	Synonyms
1	Khurpaita	
2	Mongia	Mong
3	Madar	
4	Singiwala	
5	Aughar	
6	Bajiz	
7	Bhat	
8	Chamarmahato	
9	Jogi	
10	Jogi	
11	Singiya	
12	Mahawat	Lura Pathar
13	Qalandar(Qadir	
14	Bhatu	
15	Sapera	Sapera
16	Nuramangia	
17	Beldar	
18	Kanmalia	
19	Gosham	
20	Godaahar	
21	LoraChamar	
22	Bujry	
23	Sqi kar	
24	Kanjari	
25	Bhilala	

(B) Nomadic Communities as given by the Idate Commission Report *

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

S.No.	Name of Community	Synonyms
1	Banjara	
2	Bansphor	
3	Baser	
4	Charwalia	
5	Bhuiya	
6	Dharkar	
7	Irani	
8	Kanjar	
9	Nalband	
10	Naggal Muslim	
11	Pathankar	
12	Rajl	
13	Sal	
14	Josie Bhadari, Bhathar	
15	Bajhr	
16	Gadariya	
17	Singhadia	
	Total	42

* Source: http://socialjustice.nic.in/writereaddata/UploadFile/Idate%20Commission.pdf

There is no Semi Nomadic Community in Uttar Pradesh

संलग्नक-5

संख्या-220/M/26-3-2013

प्रेषक,

के0राम मोहन राव,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी/मण्डलायुक्त,
उ0प्र0 शासन।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 19 जून 2013

विषयः- उ0प्र0 में विमुक्त जाति के अभ्यर्थियों को जाति प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में विमुक्त जातियों की सूची।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-899(ए)/XXVI-700(5)1959 दिनांक 12 मई, 1961 एवं शासनादेश संख्या-148-बी/XXVI(5)1959 दिनांक 26 मार्च, 1962 द्वारा विमुक्त जातियों की सूची निर्धारित करते हुए उनके कल्याणार्थ राज्य सरकार द्वारा चलायी जा रही योजनाओं का लाभ प्रदान किये जाने के निर्देश दिये गये थे। कालान्तर में शासनादेश संख्या-529/26-3-2000, दिनांक 27.02.2001 द्वारा विमुक्त जातियों की सूची एवं उनके विखराव के संबंध में निम्नवत् सूची निर्धारित करते हुए जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु निर्देश दिये गये हैं:-

विभिन्न जनपदों में पायी जाने वाली विमुक्त जातियों की सूची।

विमुक्त जातियां (सूची-"ख")

(एक ही स्थान पर निवास करने वाली)

क्रमांक	जातियों का नाम	जनपद
1	बंजारा	आगरा, फर्रुखाबाद, हरदोई, फिरोजाबाद, झांसी, लखनऊ, मैनपुरी, मेरठ, मथुरा, पीलीभीत, रायबरेली, सीतापुर, उन्नाव, एटा, इटावा, शिकोहाबाद, जसराना।
2	भर	आजमगढ़, वाराणसी, फैजाबाद, जौनपुर, गोरखपुर, मऊ (गोरखनाथ मंदिर), घोसी, गोठन, दाताद, महराजगंज(महराजगंज, नौतनवा, निचलौल, फरेंदा)
3	दलेरे, कहार	बरेली, मेरठ, मुरादाबाद, गाजियाबाद(गाजियाबाद, हापुड़, गढ़मुक्तेश्वर, दादरी)
4	गंडीला	मुजफ्फरनगर।
5	घोसी(हिन्दू)	अलीगढ़, एटा, फिरोजाबाद(फिरोजाबाद, शिकोहाबाद, जसराना), मैनपुरी।
6	केवट	बस्ती, सिद्धार्थनगर(नौगढ़, बांसी, डुमरियागंज)
7	गल्लाह	आगरा, अलीगढ़, बलिया, इटावा, बुलन्दशहर, गोरखपुर, मिर्जापुर तथा मथुरा, गाजियाबाद(गाजियाबाद, हापुड़, गढ़मुक्तेश्वर, दादरी), सोनभद्र(राबर्ट्सगंज, दुद्धी) महराजगंज (महराजगंज, नौतनवा, निचलौल, फरेंदा) फिरोजाबाद (फिरोजाबाद, शिकोहाबाद, जसराना)
8	लोध	फतेहपुर, मैनपुरी(शिकोहाबाद, जसराना) फिरोजाबाद
9	मेवाती	बुलन्दशहर तथा अलीगढ़ गाजियाबाद(गाजियाबाद, हापुड़, गढ़मुक्तेश्वर, दादरी)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

10	औधिया	कानपुर, फतेहपुर, कानपुर(देहात), बिल्हौर, घाटमपुर, डेरापुर, भोगनीपुर, अकबरपुर, रसूलाबाद।
11	तगामाट	सहारनपुर, हरिद्वार(हरिद्वार, रुड़की, लक्सर)(वर्तमान में उत्तराखण्ड राज्य में)

विमुक्त घुमन्तु जातियों(सूची–"ख")

क्रमांक	जातियों के नाम	जनपद
1	खुरपल्टा	आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद(फिरोजाबाद, शिकोहाबाद, जसराना)
2	मोंगिया(नौग)	आगरा, झाँसी, फिरोजाबाद(फिरोजाबाद, शिकोहाबाद, जसराना)
3	मदारी	आगरा, अलीगढ़, इलाहाबाद, सहारनपुर, सुल्तानपुर तथा फिरोजाबाद (फिरोजाबाद, जसराना, शिकोहाबाद)
4	सिंगीवाला	अलीगढ़, बरेली, बदायूं, मथुरा, नैनीताल(वर्तमान में उत्तराखण्ड राज्य में), सहारनपुर।
5	औघड	इलाहाबाद।
6	बैद	इलाहाबाद।
7	भाट	इलाहाबाद, वाराणसी, एटा, हरदोई, इटावा, फतेहपुर, हमीरपुर, मिर्जापुर, मथुरा तथा सोनभद्र(राबर्ट्सगंज, हुद्दी)
8	चमरमंगता	इलाहाबाद, फतेहपुर, हरदोई, सीतापुर, सुल्तानपुर तथा उन्नाव।
9	जोगी	इलाहाबाद, शाहजहांपुर।
10	जोगा	बदायूं।
11	किंगिरिया	इलाहाबाद।
12	महावत (लुंगीमठान)	इलाहाबाद, बहराइच, हरदोई। पीलीभीत, रायबरेली तथा उन्नाव।
13	भतरी	इलाहाबाद।
14	सपेरा (सपेरिया)	इलाहाबाद, मथुरा, सहारनपुर।
15	कुरमनिया (हिन्दू महावत)	कानपुर, हरदोई, कानपुर देहात। (बिल्हौर, घाटमपुर, डेरापुर, भोगिनीपुर, अकबरपुर, रसूलाबाद)
16	बेलदार	इटावा, सहारनपुर।
17	कनमैलिया	इटावा।
18	घोशियान	फरुखाबाद, झाँसी।
19	गोदाहार	गोंडा, सुल्तानपुर।
20	लोना चमार	जालौन।
21	बुर्जी	मथुरा।
22	सिंगलीगर	मथुरा।
23	कंकाली	सुल्तानपुर।
24	ब्रजवासी	उन्नाव।
25	कुलन्दर फकीर	इलाहाबाद, आजमगढ़, बलिया, बरेली, पिथौरागढ़(वर्तमान में उत्तराखण्ड राज्य में)।

2. विमुक्त जातियों के अन्तर्गत आने वाली ऊपर सूची–'क' एवं 'ख' में उल्लिखित जातियों में से "बेलदार" जाति भारत सरकार की अधिसूचना 'अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां आदेश(संशोधन) अधिनियम, 1976, (1976 का अधिनियम संख्या–क 108)दिनांक 18.09.1976 के अनुसार अनुसूचित जाति में क्रमांक–18 पर वर्गीकृत है।

उपरोक्त सूची 'क' एवं 'ख' में उल्लिखित निम्नलिखित जातियां राज्य सरकार की अधिसूचना 'उत्तर प्रदेश लोक सेवा(अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण)(संशोधन) अधिनियम, 2002 संख्या 1576/सत्रह-वि-1-1(क)-11-2002, दिनांक 31.08.2002 के अनुसार अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में सम्मिलित हैं:-

1. बंजारा, 2. भर, 3. कहार, 4. धोबी, 5. केवट, 6. मल्लाह, 7. लोध, 8. मेवाती, 9. जोगी

शेष जातियां यद्यपि उक्त सूची में वर्गीकृत नहीं हैं, किन्तु वे संबंधित जनपदों में विमुक्त जाति के रूप में वर्गीकृत हैं एवं उन्हें विमुक्त जाति की सुविधायें प्रदान की जा रही हैं।

शासनादेश संख्या-2461/26-3-2002-3(2)/80 दिनांक 23.09.2002 एवं संख्या-4546/26-3-2010-3(2)/80 दिनांक 13.02.2010 द्वारा उत्तर प्रदेश में मर जाति को विमुक्त जाति का प्रमाण पत्र जारी करने के निर्देश दिये गये हैं।

3. जहां तक विमुक्त जातियों को आरक्षण की सुविधा की अनुमन्यता का प्रश्न है, के संबंध में विदित है कि विमुक्त जाति के अन्तर्गत आने वाली, जो जातियां अनुसूचित जाति अथवा पिछड़े वर्ग के अन्तर्गत वर्गीकृत हैं, उन्हें तदनुरूप उक्त वर्गों हेतु अनुमन्य आरक्षण की सुविधा प्रदत्त होगी।

4. यह स्पष्ट किया जाता है कि विमुक्त जातियों को विमुक्त जाति के नाम से आरक्षण की सुविधा अनुमन्य नहीं है अपितु जैसा कि ऊपर स्पष्ट किया गया है विमुक्त जातियों की सूची में अंकित वह जातियां, जो अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति अथवा अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में सम्मिलित हैं, उन्हें उक्त जाति को अनुमन्य आरक्षण का लाभ प्राप्त होगा।

5. निदेशक, समाज कल्याण की आख्यानुसार वर्तमान में प्रश्नगत विमुक्त जातियों को निम्नलिखित सुविधायें प्रदान की जा रही हैं:-

(1) समाज कल्याण विभाग के अन्तर्गत विमुक्त जातियों के लिए कक्षा 1 से 12 तक 480 छात्र क्षमता के निम्न आश्रम पद्धति विद्यालय संचालित हैं:-

1. रामपुर, 2. फर्रुखाबाद, 3. सारनाथ(वाराणसी), 4. चन्दापुर(वाराणसी), 5. लखनऊ 6. गोरखपुर, 7. गोण्डा, 8. दुद्धी(सोनभद्र), 9. हसनपुर(सुल्तानपुर)

उक्त के अतिरिक्त स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा समाज कल्याण विभाग से शत-प्रतिशत शासकीय अनुदान पर निम्न 03 आश्रम पद्धति विद्यालय उक्त वर्ग के बच्चों के लिए संचालित हैं:-

1. ईश्वर शरण आश्रम पद्धति विद्यालय, इलाहाबाद, 2. आश्रम पद्धति विद्यालय सहारनपुर एवं 3. प्रगति आश्रम हाईस्कूल, बालागंज, लखनऊ।

(2) विमुक्त जातियों के लिए औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र, लालगंज, प्रतापगढ़ में चलाये जा रहा है, जिसमें 03 व्यवसायों के प्रशिक्षण दिया जाता है:-

1. हैण्डलूम से सूती वस्त्रों की बुनाई, 2. सिलाई एवं 3. हिन्दी टंकण का प्रशिक्षण

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

तदनुसार विमुक्त जाति के व्यक्तियों को भली–भाँति जाँच पड़ताल करके जाति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने एवं अनुमन्य सुविधायें प्रदान किये जाने के संबंध में अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही नियमानुसार सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय

(के0राम मोहन राव)
सचिव

पृ0संख्या– (1)/26–3–2013 तद्दिनांक

उक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
2. निदेशक, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, उ0प्र0 लखनऊ।

आज्ञा से,

(हरिश्चन्द्र)
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।